# युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने शमक विवि ने कंपनी रजिस्टर्ड करायी

## अपने इनोवेशन को सफल स्टार्टअप में बदल सकेंगे स्टूडेंट्स

जगदलपुर । राष्ट्रीय शिक्षा नीति(एनईपी) 2020 के तहत विद्यार्थियों को एजुकेशन के साथ-साथ नवाचार एवं उद्यमिता के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय ने एक और महत्वपूर्ण पहल किए हैं। विवि ने मिनिस्ट्री ऑफ कार्पोरेट अफेयर में एसएमकेवि इंक्यूवेशन एंड स्टार्टअप फाउंडेशन नाम से अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराया है। यह गैर सरकारी कंपनी विद्यार्थियों के रोजगार एवं स्वयं के व्यापार को स्थापित करने हेतु कार्य करेगी।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत रजिस्टर्ड इस कंपनी में कुलपति प्रो. मनोज कुमार श्रीवास्तव, कुलसचिव डॉ. राजेश लालवानी एवं सहायक कुलसचिव केजूराम ठाकुर डायरेक्टर के रूप में कार्य करेंगे। बुधवार को नव रजिर्स्ड कंपनी के बोर्ड की पहली बैठक विवि के प्रशासनिक भवन के सभागार में हुई। इसमें कंपनी के कंसल्टेंट, विवि के संबंधित अधिकारियों एवं आईआइसी मेंबर्स की उपस्थिति में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई।

कुलपति प्रो. श्रीवास्तव ने बताया कि इस पहल से न केवल विद्यार्थी स्वारोजगारी और आत्मनिर्भर बन सकेंगे बल्कि ऐसी कंपनियां भारतीय अर्थव्यवस्था के विस्तार में भी उल्लेखनीय सहयोग करेगी। विद्यार्थी विवि के आईआईसी इकाई और कंपनी की मदद से अपने व्यवसाय एवं विचार को कारोबार में बदल सकेंगे। साथ ही वे नए स्टार्टअप मॉडल विकसित करने में सफल होंगे। इसके लिए उन्हें मेंटरशिप, संसाधन एवं इन्वेस्टमेंट हेतु फाइनेंस भी आसानी से मिल जाएंगे। प्रो. श्रीवास्तव ने कहा कि कंपनी की सहायता से विवि अपने विद्यार्थियों के लिए स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता का माध्यम बनेगा। उन्हें एक बेहतर प्लेटफार्म उपलब्ध कराने में हर संभव सहयोग दे सकेगा।

प्रो. श्रीवास्तव ने यह भी बताया कि एनईपी 2020 के मल्टीडिसिप्लीनरी पाठ्यक्रम में इनोवेशन और इंटरप्रयोनरशिप को एकीकृत किया गया है। विद्यार्थियों को रचनात्मक रूप से सोचने और समाज की समस्याओं को हल करने में अपने ज्ञान को उपयोग करने पर बल दिया गया है। भारत के शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एनईपी 2020 में विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के नियम बनाए गए हैं।

एनईपी 2020 के नियमानुसार विवि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूशनल इंक्यूवेशन सेंटर(आईआईसी)की स्थापना की गई है। पिछले महीने आईआईसी क्वार्टर टू के तहत विभिन्न प्रभावी आयोजन भी किए गए हैं। अब इन कार्यों को और प्रभावी बनाने के लिए कंपनी रजिस्टर्ड कराई गई है। जानने की बात यह भी कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत गैर लाभकारी कंपनियां पंजीकृत होती हैं। इन कंपनियों का उद्देश्य कला, विज्ञान, अनुसंधान, धर्म, खेल, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना होता है।